बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
संकल्प
बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2020 ।

संख्या–2/वन विविध–16/2018 2335 प०व०जव०प० पटना–15, दिनांक–26/08/20

प्रस्तावना– बिहार सरकार राज्य के हरित आवरण को बेहतर बनाने एवं हरित आवरण 17 प्रतिशत करने के लिये पौधारोपण योजनाओं में भारी निवेश कर रही है। वनों एवं वनों के बाहर वृक्षाच्छादन में वृद्धि एवं काष्ठ की उपलब्धता में वृद्धि के लिये आपूर्ति पक्ष सुदृढ़ करने हेतु वनीकरण योजना का व्यवस्थित अभियान चलाया गया है। इसके अतिरिक्त, किसानों को अपने खेत में अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा उगाये गये प्रकाष्ठ का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। प्रकाष्ठ के मांग में वृद्धि से इसे प्राप्त किया जा सकता है जिसे कुशल एवं एकीकृत काष्ठ आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर सम्भव है, जो काष्ठ, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर खरीदेगें एवं इससे किसान अपने खेतों में पौधा लगाने एवं इसके रक्षा करने हेतु प्रोत्साहित होगें।

बिहार के 38 जिलों में 2272 अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मिल, 279 विनियर मिल, 142 प्लाईवुड उद्योग तथा फर्निचर बनाने की कई ईकाईयाँ, जिसमें अधिकांश असंगठित है, कार्यरत है। काष्ठ आधारित उद्योग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत है और बिहार आरा मिल (विनियमन) अधिनियम 1990, बिहार आरा मिल (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2002, बिहार आरा मिल (विनियमन) नियमावली 1993 और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश/दिशा निदेश के तहत संचालित है। बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 2020 अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया जा रहा है जिससे नये काष्ठ आधारित उद्योग को स्थापित करने के साथ–साथ मौजूदा स्थापित उद्योगों के विनियमन में आसानी होगी। इसके पूर्व विभाग अभीतक मुख्यतः आरा मिल, विनियर मिल एवं प्लाईवुड इकाई के नियामक की भूमिका में था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य में अनुज्ञप्ति के माध्यम से इकाईयों को विनियमित करता है।

काष्ठ आधारित उद्योग के तकनीक अद्यतन मानक के नहीं है। इसके अतिरिक्त, कम क्षमता वाले संयंत्र एवं मशीन के कारण निम्न गुणवत्ता के उत्पाद तैयार होते हैं, कच्चे माल की अधिक बर्बादी होती है, एकीकृत इकाईयों के अभाव में इकाईयाँ, अकुशल व्यापार का नमूना हो जाती है। निवेश योजनाओं के प्रस्तावों को असंगठित क्षेत्र से रहने एवं बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति के प्राथमिकता क्षेत्र में नहीं रहने के कारण बैंकों का समर्थन नहीं मिल पाता था।

यह नीति निवेश लाने एवं वर्तमान में स्थापित आरा मिल, विनियर मिल, प्लाईवुड एवं फर्नीचर इकाईयों के लिये सकारात्मक व्यापार की परिस्थितियां बनायेगी। वर्तमान काष्ठ आधारित उद्योग के विस्तार/ विविधिकरण/ आधुनिकीकरण/ तकनीकी उन्नयन/फर्निचर बनाने की इकाई को जोड़ने तथा स्थापित उद्योगों की गुणवत्ता एवं सह–क्रियाशीलता में वृद्धि में सहायता होगी।

इस नीति का उद्‌देश्य, ऐसे नये काष्ठ आधारित उद्योगों को एकीकृत इकाईयों की स्थापना कर समग्र रूप से क्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त यह नीति, लघु फर्नीचर एवं अन्य आधुनिक सामग्री बनाने वाली इकाईयाँ, जो अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र में है, तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करेगी। इस क्षेत्र में कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिक रोजगार सृजन की असीम सम्भावना है।

बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 के अंतर्गत प्रोत्साहन के कारण जन सामान्य को अच्छी गुणवत्ता के काष्ठ उत्पाद प्राप्त हो सकेगें तथा किसानों को उनके प्रकाष्ठों का उचित मूल्य मिल सकेगा इसके कारण कृषक वर्ग अपने खेतों में अधिक से अधिक संख्या में लगाये एवं परिपक्व हाने पर काटेगें।

1. नीति की दृष्टि

बिहार राज्य में तकनीकी उन्नयन, मूल्यवर्द्धन, अपशिष्ट में कमी, भंडारण, कौशल उन्नयन और निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से काष्ठ आधारित उद्योगों एवं शिल्पकारों को प्रोत्साहित करना ताकि इसके माध्यम से उद्यमियों एवं किसानों के लिये उच्चतर आय की प्राप्ति, शिल्पकारों का कौशल उन्नयन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो।

2. उद्देश्य

यह नीति, निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लक्षित है, ताकि राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों के समग्र वृद्धि और विकास के माध्यम से अन्ततः उद्यमियों एवं किसानों के आय में वृद्धि हो सके।

2.1 वित्तीय सहायता और सक्षम वातावरण के माध्यम से बिहार काष्ठ व्यवसाय क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना।

2.2 तकनीक के स्तर को बढ़ाने, अपव्यय को कम करने, मूल्यवर्द्धन, भंडारण, कौशल उन्नयन और निर्यात को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप काष्ठ आधारित उद्योग का समग्र विकास।

2.3 काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना के साथ–साथ प्रोद्योगिकी उन्नयन और राज्य में मौजूदा इकाईयों के विस्तार के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना।

2.4 मूल्यवर्द्धन एवं अपशिष्ट में कमी कर उद्यमियों को बेहतर रिटर्न देकर आय को बढ़ावा देना।

2.5 काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना।

2.6 किसानों द्वारा रोपित पौधों के लिये लाभकारी मूल्य का भुगतान करना ताकि वे अपनी भूमि पर पौधे लगाने एवं रख रखाव हेतु प्रेरित हो सके।

2.7 शिल्पकारों के कौशल विकास में वृद्धि करना तथा उन्हें आधुनिक एवं कुशल उपकरण एवं संयंत्र उपलब्ध कराना।

2.8 आधुनिक उपकरणों एवं संयंत्रों के माध्यम से लघु फर्निचर ईकाई एवं शिल्पकला इकाई को सहायता करना।

3. परिभाषाएं

जब तक कि इस नीति में अलग से उल्लेख नहीं किया जाय, इस नीति में प्रयुक्त किये गये शब्द का वही अभिप्राय होगा जो कि बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 (BIIPP-2016) में है। इस नीति के तहत विभिन्न लाभ देने हेतु इस नीति के लिये अन्य विशिष्ट परिभाषायें निम्नवत् हैं–

3.1 **काष्ठ आधारित उद्योगों / इकाईयों** से अभिप्राय ऐसी उद्योगों/ईकाइयों से है जो बांस या

काष्ठ उत्पाद अथवा बांस या काष्ठ अपशिष्ट या मध्यवर्ती उत्पादों का प्रयोग कर, ऐसी सामग्री का, इस तरीके से निर्माण करती हो कि जिसके बांस या प्रकाष्ठ के उत्पादों की प्रकृति में परिवर्तन हो एवं इसके अन्तर्गत वैसे सभी उद्योग आयेंगे जिन्हें बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (यथा संशोधित 2020) के प्राथमिकता सूची में रखा गया है।

3.2 **अनुज्ञप्ति** से अभिप्राय ऐसे अनुज्ञप्ति से है जिसे बिहार आरा मिल (विनियमन) अधिनियम, 1990 की धारा 7 के अन्तर्गत जारी किया गया है या उत्तरवर्ती किसी अधिनियम के तहत जारी किया गया हो।

3.3 **शिल्पकार** से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो अर्थोपार्जन और/या जीविकोपार्जन के लिये किसी प्रकाष्ठ या बांस आधारित कौशलपूर्ण व्यापार से संलग्न हो, इनमें वैसे व्यक्ति भी शामिल होगें जो हस्तशिल्प का कार्य करते हों।

3.4 **विभाग** से अभिप्राय है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार या इसका कोई उत्तरवर्ती विभाग।

3.5 **कौशल उन्नयन** से अभिप्राय ऐसे प्रशिक्षण एवं शिल्पकारों के प्रमाणीकरण से है जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचागत स्तर (NSQF) अथवा आई.टी.आई. / पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण या परंपरागत हुनर की मान्यता या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र से प्राप्त हो।

3.6 **प्रौद्योगिकी उन्नयन** से अभिप्राय वर्तमान में काष्ठ आधारित उद्योग की क्षमता में वृद्धि, अपशिष्ट में कमी, गुणवत्ता में वृद्धि, कुशल उपकरण संयंत्र एवं मशीन के प्रयोग से है।

3.7 **मौजूदा इकाई का विस्तार** से अभिप्राय मौजूदा इकाई की क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि से है।

3.8 **मौजूदा ईकाई के विविधीकरण** से अभिप्राय है उसी परिसर में पूर्व से स्थित इकाई की कुशलता,व्यवहार्यता एवं/अथवा मूल्य वर्द्धन के लिये भिन्न गतिविधि/ उत्पाद श्रृंखला स्थापित करना।

3.9 **परियोजना लागत** का अभिप्राय अनुदान की गणना के उद्देश्य से होगा–संयत्र तथा उपकरण का मूल्य, आधारभूत संरचना की लागत, भूमि का मूल्य एवं कार्यशील पूंजी।

बशर्ते कि परियोजना लागत की गणना के उद्देश्य से कार्यशील पूंजी, अनुमानित वार्षिक **टर्नओवर** के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा,

बशर्ते कि अनुदान के गणना के उद्देश्य से इस नीति के तहत, परियोजना लागत में भूमि की कीमत प्रस्तावित निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक (भूमि की कीमत छोड़कर) नहीं होगी। इस तरह अनुमोदित परियोजना लागत में भूमि के वास्तविक मूल्य छोड़कर, दर्शायें गये कुल निवेश के 10 प्रतिशत अथवा भूमि का वास्तविक मूल्य में से जो भी कम हो माना जायेगा।

बशर्ते कि भूमि का मूल्य क्षेत्र का MVR या औद्योगिक क्षेत्र के भूमि का मूल्य लिया जायेगा, जैसा कि लागू हो।

बशर्ते कि परियोजना मूल्य के गणना के उद्देश्य से विभाग उपकरण, संयत्र एवं मशीन के लिये ईकाई दर निर्धारित करेगा।

3.10 **महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/ युद्ध विधवा/तेजाब पीड़ित/ किन्नर उद्यमी** से अभिप्राय है कि ऐसा उद्यम या व्यक्तियों का समूह, चाहे इसका जो भी नाम हो, जिनमें निम्न व्यक्ति हों ––

- प्रोपराइटरशीप उद्यम में महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/ युद्ध विधवायें/ तेजाब पीड़ित/ किन्नर उद्यमी प्रोपराइटर हो।
- भागीदारी उद्यम अथवा सीमित देयता भागीदारी (LLP) के मामलों में महिला/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/ युद्ध विधवायें/ तेजाब पीड़ित/ किन्नर उद्यमी कार्यकारी पार्टनर के रूप में हो जिनका निवेश पूँजी में 50 प्रतिशत से अधिक हो।
- कम्पनी एक्ट 2013 के तहत गठित कम्पनी के मामले में महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/ युद्ध विधवायें/ तेजाब पीड़ित/ किन्नर उद्यमी का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक हो।

3.11 **'वर्ष'** से अभिप्राय वित्तीय वर्ष (एक अप्रैल से 31 मार्च तक) और **'क्वार्टर'** का अभिप्राय है तीन महीनों की अवधि जो कि 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च को समाप्त होती है।

4. बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 की प्रमुख विशेषताएँ

4.1 इस नीति के प्रावधानों के अनुसार देय लाभ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (BIIPP, 2016) के अन्तर्गत देय लाभों के अतिरिक्त होगें। हालांकि यदि निवेशक BIIPP, 2016 के अन्तर्गत ब्याज लाभ का विकल्प चुनता है तो ब्याज लाभ एवं इस नीति के अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान का योग इस नीति की कंडिका 5.2.1 में प्रावधानित कुल राशि सीमा से अधिक नहीं होगा।

4.2 यह नीति बिहार राज्य में काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण/ विस्तार/ तकनीकी उन्नयन/ विविधीकरण के लिए पात्र व्यक्तिगत निवेशकों/ उद्यमियों को पूंजीगत अनुदान प्रदान करेगी। निवेशक/ उद्यमी अपनी इकाइयों को प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एल.एल.पी. या कंपनी के रूप में स्थापित कर सकते हैं।

4.3 इस नीति के अन्तर्गत अनुदान केवल निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु दिया जाएगाः–

क) राज्य में मौजूदा काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों के मौजूदा उपकरणों, संयंत्रों और मशीनरी के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु।

ख) मौजूदा इकाइयों के विस्तार के मामले में इकाई की मौजूदा क्षमता को ऐसे विस्तार या आधुनिकीकरण के माध्यम से कम से कम 25% बढ़ाये जाने पर।

ग) मौजूदा इकाई के विविधीकरण के मामले में नई उत्पाद श्रृंखला/गतिविधि में संयंत्र, मशीनरी एवं असैनिक निर्माण में परियोजना लागत कम से कम 10 लाख रूपये होनी चाहिए।

घ) राज्य में काष्ठ आधारित नए उद्योग स्थापित करने पर।

4.4 काष्ठ आधारित उत्पादों पर काम करने वाले कारीगर, कौशल उन्नयन, प्रमाणीकरण और उपकरणों के प्रावधान के लिए पात्र होंगे।

4.5 छोटे फर्नीचर और कला उत्पाद बनाने वाली इकाइयाँ, जिसमे कम से कम 10 श्रमिक हो, वे आधुनिक उपकरणों एवं संयंत्रों के लिए एक बार अनुदान के पात्र होंगे।

4.6 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, राज्य में इस नीति के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए नोडल एजेंसी होगा।

4.7 यह नीति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लागू होगी जो इसकी प्रभावी तिथि होगी, और यह 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगी। इसे आगे जारी रखने का निर्णय विभाग द्वारा लिया जा सकेगा।

4.8 विभाग इस नीति के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए सक्षम होगा।

5. बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 अंतर्गत प्रोत्साहन

यह नीति, काष्ठ आधारित औद्योगिक ईकाइयों में निवेश को बढ़ाने के लिए पूंजी अनुदान को आवश्यक मानती है।

5.1. निदेशक सिद्धांत

5.1.1 इस नीति के अंतर्गत सभी अर्हता प्राप्त इकाईयों पर इसके प्रावधान / सिद्धांत लागू होंगे।

5.1.2 यह नीति, अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी। यह तिथि इस नीति की प्रभावी तिथि मानी जायेगी जिस दिन से इसके प्रावधान लागू होंगे तथा वे 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे। इस नीति के अंतर्गत अर्हता प्राप्त इकाई, नीति अवधि के समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2025 के बाद अधिकतम, दो वर्षों तक अनुदान का लाभ उठा सकेगें।

5.1.3 चयनित काष्ठ आधारित औद्योगिक ईकाइयों को अनुदान सहायता, उन्हें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होगी। परंतु, यदि निवेशक BIIPP, 2016 में मिलने वाले ब्याज अनुदान का लाभ लेता है तो ब्याज अनुदान एवं इस नीति के तहत पूँजी अनुदान की कुल राशि कंडिका 5.2.1 में प्रावधानित कुल अनुदान राशि सीमा से अधिक नहीं होगी।

5.1.4 इस नीति के तहत 31 मार्च 2025 के बाद, पूँजी अनुदान के लाभ के लिए, निवेशक आवेदन नहीं कर सकेंगे।

5.1.5 इस नीति के तहत पूँजी अनुदान के गणना के उद्देश्य से, अनुमोदित परियोजना लागत का अर्थ, परियोजना मूल्य जैसा कि कंडिका 3.9 में परिभाषित है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, होगा। अनुमोदित परियोजना मूल्य, संवितरण राशि के निर्धारण का आधार होगा।

5.1.6 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के मामले में पूँजी अनुदान की अधिकतम सीमा सभी श्रेणियों में अतिरिक्त 5% बढ़ायी जायेगी। यद्यपि अनुदान की कुल अधिकतम सीमा वही रहेगी।

5.1.7 महिलाओं, दिव्यांगों, युद्ध विधवाओं, तेजाब पिडितों तथा किन्नर उद्यमियों के मामले में पूँजी अनुदान की अधिकतम सीमा सभी श्रेणियों में अतिरिक्त 5% बढ़ायी जायेगी। यद्यपि अनुदान की कुल अधिकतम सीमा वही रहेगी।

5.1.8 इस नीति के अंतर्गत लाभ, लागू अनुदान के समाप्त होने पर अथवा अर्हता अवधि के पूरा होने पर, समाप्त हो जायेगा, इनमें जो भी पहले हो। कोई भी अनुपयोगित लाभ, अर्हता अवधि के अंत होने के पश्चात स्वतः समाप्त हो जायेगें।

5.1.9 परियोजना के पूरा होने तथा परिचालन चालू होने की समय–सीमा, अनुदान अनुमोदन की तिथि से अधिकतम 24 महीना होगी।

5.1.10 अन्य योजनाओं में लागू कोई अनुदान/सहायता अनुदान/सुलभ ऋण (Soft Loan) तथा अन्य समर्थन, बिहार राज्य में स्थापित काष्ठ आधारित उद्योगों एवं आधारभूत संरचनाओं के लिए लागू होंगे।

5.1.11 इकाई के प्रबंधन अथवा स्वामित्व में परिवर्तन की स्थिति में, इकाई द्वारा सक्षम प्राधिकार, जैसा कि उद्योग विभाग द्वारा समय समय पर तथा इस नीति के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा परिभाषित किया गया है, को सूचित किया जायेगा। आवश्कता पड़ने पर संशोधित पत्र / अर्हता प्रमाण पत्र में नये स्वामी के नाम से /इकाई नाम से अवशेष प्रोत्साहन लाभों हेतु निर्गत किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अर्हता अवधि बढ़ाई नहीं जायेगी तथा अनुमोदन की मूल तिथि से ही प्रभावी परिभाषित किया जायेगा।

5.1.12 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ महिलाओं/ दिव्यांगों/ युद्ध विधवाओं/ तेजाब पीड़ितों/ किन्नर उद्यमियों द्वारा संचालित इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने से पांच वर्षों के भीतर भागीदारों में किसी प्रकार के परिवर्तन के मामले में नये भागीदार उसी श्रेणी के होने चाहिए। यदि नये भागीदार उस श्रेणी से नहीं आते हैं तो लाभ राशि जो उन इकाईयों को दी गयी है वह पूंजी अनुदान पाये जाने की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज की दर से वसूलनीय होगा। निर्धारित समय–सीमा के अंदर भुगतान नहीं करने की स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा ऐसी राशि तथा ब्याज को भू–राजस्व के रूप में वसूली किया जा सकेगा।

5.1.13 यदि प्रोत्साहन के लाभ के प्रयोजन से कोई गलत घोषणा दिया गया हो या यदि बिना अर्हता का प्रोत्साहन लाभ किसी इकाई के लिए प्राप्त किया गया हो अथवा इस नीति के किसी शर्त का उल्लंघन किया गया हो तो ऐसे प्रोत्साहन की राशि लाभ पाये जाने की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज की दर से वसूलनीय होगा। प्रावधानित समयावधि में भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार वह राशि व्याज समेत बकाया भू–राजस्व के रूप में वसूल सकेगी।

5.1.14 पूँजी अनुदान की बढ़ी राशि का लाभ उठाने हेतु, बिना किसी वास्तविक परिचालन कारणों से, किसी इकाई को खंडित करना अथवा मिलाना अथवा विभाजित करने का प्रयास, तथ्यों का मिथ्या प्रस्तुति समझा जायेगा तथा दण्डात्मक कार्रवाई जैसा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा, को आकृष्ट करेगा।

5.2. नीति के अंतर्गत सहायता

इस नीति का लक्ष्य राज्य के काष्ठ आधारित उद्योग/इकाईयों में निवेशकों को (बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में, उन तत्संबंधी प्रावधानों के अलावे) अतिरिक्त समर्थन देकर निवेश को प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ, बिहार में काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए एक सकरात्मक वातावरण तैयार करना है।

5.2.1. पूंजीगत अनुदान

(क) निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुदान निवेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

श्रेणी	इकाई	सब्सिडी	परियोजना का प्रयोजन
(क)	चालू काष्ठ आधारित उद्योग	अनुदान की अर्हता हेतु परियोजना मूल्य का न्यूनतम 10 लाख होना आवश्यक है। परियोजना में अनुदान, परियोजना लागत का 35% या अधिकतम रू० 70 लाख होगी। प्रथम किश्त – 50% (मशीन एवं उपकरणों के क्रय एवं स्थापना के बाद)	1. अपशिष्ट में कमी एवं उपयोग / गुणवत्ता उन्नयन / मूल्य संवर्धन एवं तालमेल हेतु वर्तमान काष्ठ आधारित उद्योग का विस्तार/वैविध्यीकरण/ आधुनिकीकरण / तकनीकी उन्नयन 2. कुशलीकरण तथा रोजगार सृजन

		द्वितीय किश्त – 50% (इकाई / परियोजना के वाणिज्यक उत्पादन आरंभ होने के बाद)	
(ख)	नया समेकित काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई	अनुदान की पात्रता हेतु परियोजना का राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद् (SIPB) से अनुमोदन तथा परियोजना लागत का न्यूनतम रू० 50 लाख होना आवश्यक है। अनुदान परियोजना लागत का 35% या अधिकतम रू० 175 लाख होगी। प्रथम किश्त – 50% (मशीन एवं उपकरणों के क्रय एवं स्थापन के बाद) द्वितीय किश्त – 50% (इकाई / परियोजना के वाणिज्यक उत्पादन आरंभ होने के बाद)	1. नया समेकित काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई का स्थापना। 2. कुशलीकरण तथा रोजगार सृजन
(ग)	लघु उपस्कर तथा अन्य काष्ठ आधारित शिल्पकृति निर्माण इकाई जिसमें कम से कम 10 मजदूर नियोजित हो।	यंत्रों एवं उपकरणों हेतु रू० 2,00,000/– इकाई तक का अनुदान, कौशल उन्नयन सहित	1. आधुनिक यंत्रों एवं उपकरणों के उपयोग द्वारा गुणवत्ता उन्नयन/मूल्यवर्द्धन तथा अपशिष्ठ कम करना। 2. कौशल उन्नयन।
(घ)	व्यक्तिगत शिल्पकार	आधुनिक यंत्रों और उपकरणों समेत कौशल उन्नयन हेतु प्रति व्यक्ति रू० 50,000/– तक अनुदान	–वही–

नोट– सभी श्रेणियों के परियोजनाओं में निवेश हेतु, संयत्रों, ढांचों तथा उपकरणों का ईकाई मानक दर विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

5.2.2. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का परस्परानुबंधन (Dovetailing)

केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के प्रोत्साहनों का परस्परानुबंधन की अनुमति दी जायेगी तथा ये प्रस्तावित अनुदान के अतिरिक्त होंगे।

5.3. अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के निवेशकों हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज।

5.3.1. राज्य में अति पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के निवेशकों को प्रोत्साहन देने हेतु वर्णित श्रेणियों के उद्यमियों को इस नीति के तहत, 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। परंतु कुल देय अनुदान की अधिकतम राशि सीमा वही रहेगी। विभाग इन श्रेणियों के निवेशकों के लिये राशि कर्णांकित करेगी।

5.4. महिलाओं, दिव्यांगों, युद्ध विधवा, एसिड हमले का शिकार तथा किन्नर निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज।

5.4.1 महिलाओं, दिव्यांगों, युद्ध विधवाओं, एसिड हमले के शिकार तथा किन्नरों के बीच निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु इस नीति के अंतर्गत उन श्रेणियों के उद्यमियों को 5% अतिरिक्त अनुदान का लाभ दिया जायेगा। यद्यपि अनुदान की अधिकतम राशि सीमा वही रहेगी। विभाग इन श्रेणियों के उद्यमियों के लिए राशि कर्णांकित कर सकेगी।

6. संस्थागत समर्थन

6.1. काष्ठ आधारित उद्योगों में बेहतर निवेश हेतु राज्य सरकार सकरात्मक वातावरण बनाने हेतु, सतत चेष्टारत रहेगी। इसे सुनिश्चित करने हेतु, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अन्य संबंधित विभागों तथा हित धारकों से समन्वय कर कार्य करेगी।

6.2. राज्य सरकार द्वारा कच्चा–सामग्री, काष्ठ का विक्रय, बाजार सूचना संग्रह हेतु निष्ठ संस्था की स्थापना सहित, वन विकास निगम या विभाग के किसी अन्य संभाग के द्वारा बाजार विक्रय तथा ब्रांड विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.3. राज्य सरकार, काष्ठ आधारित उद्योगों तथा उपस्कर निर्माण में विभिन्न कार्यों में लगे, मानव संसाधन के कौशल विकास हेतु कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करेगी, ताकि वर्तमान कौशल की पहचान और मान्यता प्रमाणित हो तथा क्षमता निर्माण/मूल्यवर्द्धन का प्रोत्साहन हो।

7. निवेशक (निवेशकों) / आवेदक एवं पात्रता

7.1 निवेशक (निवेशकों)/आवेदक

7.1.1 इस नीति के तहत नये निवेशक /उद्यमी तथा वर्तमान काष्ठ आधारित इकाई वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। निवेशक स्वामित्व, भागीदारी, साझेदारी, सीमित देयता भागीदारी (LLP) एवं कम्पनी के रुप में पूंजी अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं।

7.1.2. इस नीति के तहत विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, किन्नरों, दिव्यांगों, युद्ध विधवा, एसिड पीड़ित को लाभान्वित करने हेतु राशि कर्णांकित कर सकेगी। आधारभूत पात्रता/अर्हता मानकों को पूरा करने के शर्त पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, किन्नरों, दिव्यांगों, युद्ध विधवा, एसिड पीड़ित के परियोजनाओं की स्वीकृति, को इस नीति के तहत प्रत्येक श्रेणी के लिये को कर्णांकित राशि की सीमा तक प्राथमिकता दी जायेगी।

7.1.3. निवेशक/ आवेदक निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार होंगे :–

(क) नीति संबंधी अभिलेखों तथा विवरणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना तथा दिशा–निर्देश के अनुरूप निदेशानुसार आवेदन जमा करना।

(ख) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का सूत्रण तथा समर्पित आवेदन प्रपत्र के अनुरूप कार्यान्वयन, कार्यावधि में ससमय परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(ग) परियोजना हेतु प्राप्त अनुदान एवं वित्त का ससमय तथा विवेकपूर्ण अंतःउपयोग सुनिश्चित करना तथा ससमय ऋण भुगतान एवं लाभप्रदता सुनिश्चित करना।

(घ) पर्यावरणीय अनुमति समेत परियोजना आरंभ करने तथा परिचालन हेतु सभी आवश्यक वैधानिक अनुमोदनों/अनुमतियों को प्राप्त करना।

(ङ०) विनिर्दिष्ट समय के भीतर वित्त प्रदत्तता (financial closure) प्राप्त करना एवं परियोजना को ससमय पूरा करना ।

(च) आवश्यक आधारभूत संरचना का स्वामित्व अपनाना और संधारण करना।

(छ) परियोजना के चालू हो जाने के बाद आधारभूत संरचना–सुविधाओं तथा परियोजना कार्यान्वयन के लेखा का उचित संधारण करना।

(ज) परियोजना का ससमय प्रगति, विभाग को (स्थल चित्र/ फोटो के साथ अपेक्षित प्रगति प्रतिवेदन का समर्पण) प्रतिवेदित करना तथा जब और जेसे आवश्यक हो, अनुश्रवण एवं निरीक्षण करवाना।

(झ) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के साथ हस्ताक्षर किये गये समझौता के सभी नियमों और शर्तों का चयनित निवेशक द्वारा पालन किया जायेगा।

7.2. अर्हता

7.2.1. आवेदक का एक मजबूत वित्तीय आधार रहना चाहिए। आवेदक का शुद्ध सम्पत्ति (Net worth) याचित अनुदान राशि से कम नहीं होना चाहिए।

7.2.2. आवेदक द्वारा परियोजना के लिए जमीन, क्रय अथवा लीज पट्टा पर कम से कम 30 वर्षों के लिए व्यवस्था किया जायेगा तथा यह प्रस्तावित उद्योग इकाई के नाम से पंजीकृत होना चाहिए।

7.2.3. निवेशक /आवेदक, जो किसी परियोजना के लिए इस नीति के तहत वित्तीय संहायता प्राप्त कर लिया है, किसी अन्य परियोजना के लिए इसी नीति के तहत तबतक आवेदन करने की अर्हता नहीं प्राप्त करेंगे, जबतक कि पहली परियोजना का परिचालन का एक माह पूरा नहीं हो जाता है।

7.2.4. नीति निदेशिका में विहित शर्तों के, पूरा किये जाने पर प्रस्तावों को विचारण योग्य माना जायेगा। प्रस्तावों को योग्यताक्रम के अनुसार एवं आवेदन की तिथि के अनुसार, बजट उपलब्ध होने पर चुना जायेगा, जब तक वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप परियोजना की संख्या पूरी न हो जाए।

8. नीति कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण

8.1. नीति कार्यान्वयन

8.1.1 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार राज्य में इस नीति के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी होगी।

8.1.2 प्रस्तावों की जांच तथा इस नीति के तहत आवेदक/निवेशकों को पूँजी अनुदान विमुक्त करने हेतु, अनुमति प्रदान करने के लिए, विभाग एक परियोजना अनुश्रवण समिति गठित करेगा।

8.1.3 निवेशकों के श्रेणी 'ख' अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को, राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन परिषद् के अनुमोदन के उपरांत ही स्वीकार किया जायेगा तथा इस नीति के तहत गठित परियोजना अनुश्रवण समिति द्वारा, इस नीति के शर्तों के अनुसार आवेदक की अर्हता के आधार पर अनुदान अनुमोदन तथा संवितरण का निर्णय लिया जायेगा। परियोजना अनुश्रवण समिति के द्वारा उद्योग विभाग तथा निवेशक को सूचना दिया जायेगा।

8.1.4 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, इस नीति के तहत निवेशकों के सुगमता तथा प्रस्ताव जांच, अनुदान आकलन एवं प्रावधान के अनुरूप संवितरण में सहायता हेतु तकनीकी सहायता समूह का गठन करेगा।

8.1.5 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार इस नीति के कार्यान्वयन तथा अनुदान के दावों का निपटारा हेतु विस्तृत निदेशिका निर्गत करेगी।

8.2. नीति अनुश्रवण तथा शिकायत निवारण

8.2.1 समय समय पर इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा किया जायेगा तथा इस नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, आवश्यक सुगमता एवं कार्य प्रणाली सुधार हेतु, परिवर्तन किया जायेगा। परियोजना अनुश्रवण समिति, तकनीकी सहायता समूह के साथ, अनुमोदित परियोजनाओं/इकाईयों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण तथा शिकायत निवारण में सुगमता प्रदान करेगी।

8.2.2 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, निवेशकों को आवेदन के विभिन्न चरणों/ संबंधित प्राधिकारों से अनुमोदन तथा अभिकर्त्ताओं के साथ समन्वय हेतु, **'काष्ठ आधारित उद्योग निवेशक प्रोत्साहन सुगमता कोषांग'** स्थापित करेगी जो उद्यम कार्य सरलीकरण सुनिश्चित करने का सरकारी प्रयासों का अंग होगा।

8.2.3 विभाग एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगी।

8.3. सामान्य शर्तें

इस नीति के तहत अनुदान का लाभ पाने हेतु, निम्नलिखित सामान्य शर्तें लागू होंगी।

8.3.1 यदि प्रोत्साहन के लाभ के प्रयोजन से कोई गलत घोषणा दिया गया हो या यदि बिना अर्हता का प्रोत्साहन लाभ, किसी इकाई के लिए प्राप्त किया गया हो अथवा इस नीति के किसी शर्त का उलंघन किया गया हो तो पूंजी अनुदान की राशि, लाभ पाये जाने की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज की दर से वसूलनीय होगी। प्रावधानित समयावधि में भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार वह राशि व्याज समेत बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल सकेगी।

8.3.2 सभी प्रयोजनों के लिए जो सम्प्रति पारिभाषित /विनिर्दिष्ट नहीं किये गये हैं उनका, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में दिये गये परिभाषा के समान अर्थ होगा।

8.3.3 इस नीति में दिये गये परिभाषाएँ तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 (BIIPP 2016) में दिये गये परिभाषाएँ, इस नीति के भाग समझे जायेंगे।

8.3.4 यह नीति अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च 2025 तक परिचालन में रहेगी।

संक्षिप्त शब्द

BWBI-IPP	Bihar Wood Based Industries Investment Promotion Policy, 2020 बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020		LLP	Limited Liability Partnership सीमित देयता भागीदारी
BIIPP	Bihar Industrial Investment Promotion Policy 2016 बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016		PMC	Project Monitoring Committee परियोजना अनुश्रवण समिति

DPR	Detailed Project Report विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन		RPL	Recognition of Prior Learning परंपरागत हुनर की मान्यता
EBC	Extremely Backward Classes अत्यन्त पिछड़ी जातियाँ		SC	Scheduled Caste अनुसूचित जाति
FCI	Fixed Capital Investment अचल पूँजी निवेश		SIPB	State Investment Promotion Board राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद
FI	Financial Institutions वित्तीय संस्थायें		ST	Scheduled Tribe अनुसूचित जनजाति
ITI	Industrial Training Institute औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान		TSG	Technical Support Group तकनीकी सहायता समूह

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26/8/2020

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–2/वन विविध–16/2018–2335**/प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक–**26/08/2020

प्रतिलिपिः अवर सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को (सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ।

2. इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

26/8/2020

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–2/वन विविध–16/2018–2335**/प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक–**26/08/2020

प्रतिलिपिः महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HoFF), बिहार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार/ सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बिहार/ निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी वन संरक्षक, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बिहार/ माननीय उप मुख्य (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार/ विभाग के सभी पदाधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

विभाग/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–2/वन विविध–16/2018–2335**/प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक–**26/08/2020

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को इस संकल्प को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव